

# कार्यालय, नगर पालिक निगम राजनांदगांव (छ.ग.)

## // निविदा सूचना //

क्रमांक.../निविदा/लोक/2016-17

राजनांदगांव दिनांक..././2017

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव में द्वारा निम्न कार्य हेतु छ.ग. शासन के आदेश के तहत केन्द्रीयकृत पंजीयन में सक्षम श्रेणी( द एवं अपर श्रेणी) में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग में लागू भवन/रोड एस.ओ.आर.01.01.2015 अद्यतन संशोधन सहित दर के आधार पर फार्म "ए" मुहरबंद निविदायें दो लिफाका पद्धति से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित करती है। निविदा प्रपत्र निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट से सीधे निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राशि की अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट सहित भरी हुई निविदा में अमानत राशि के साथ प्रेषित कर सकेगे।

1. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
2. प्राप्त निविदाएं खोलने की तिथि

24/01/2017 शाम 5.00 बजे तक

27/01/2017 शाम 5.00 बजे तक

कार्यपालन अभियंता के कक्ष में नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

क्र	कार्य का नाम	राशि लाख में	अमानती राशि (रूपये में)	निविदा फार्म	निविदा प्रपत्र मूल्य रूपये में	समवाधि
1	वार्ड न.05 चिखली में बौद्ध समाज मंगल भवन निर्माण।	5.00	5000	ए	750.00	02 माह
2	वार्ड न.10 शकरपुर में बौद्ध समाज मंगल भवन निर्माण।	5.00	5000	ए	750.00	02 माह

शर्त:-

1. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
2. अमानत राशि का एफ.डी.आर निविदा के साथ संलग्न करना एवं लिफाफे में उसका विवरण अंकित करना होगा।
3. निविदा में भाग लेने के इच्छुक निविदाकार निविदा प्रपत्र करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय अपने आवेदन में कार्य का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। कांट-छांट या अपलेखन मान्य नहीं किये जावेगे। निविदा प्रपत्र मूल्य जमा कराने उपरांत ही आवेदन संबंधित शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
4. दरें अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अंकित करना होगा। कांट-छांट या अपलेखन मान्य नहीं किये जायेगें।
5. नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालयीन अवधि में देखी/प्राप्त की जा सकती है।
6. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत 1.00 प्रतिशत राशि की कटौति निर्माण कार्य के प्रस्तुत होने वाले देयको से की जावेगी।
7. छ.ग शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 5-190/18/05 रायपुर दिनांक 19.01.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत से कम निविदा दर होने पर सफल

श्रीर पालिक निगम राजनांदगाव

आयुक्त  
13/06/2017

7. कायदालय..... नोटिस बोर्ड चरणा हेतु।
- के वेबसाईट मं अपलोड किये जाने।
6. प्रभासी अधिकासी डाटा सेंटर नगर पालिक निगम राजनांदगाव को सूचनाएं एवं विभागीय एवं शासन
- 5 राजस्व अधिकासी, नगर पालिक निगम राजनांदगाव को सूचनाएं।
4. सहायक जनसंपर्क अधिकासी, नगर पालिक निगम, राजनांदगाव को सूचनाएं।
3. प्र.सदस्य लोककर्म, नगर पालिक निगम, राजनांदगाव को और सूचनाएं।
2. माननीय अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, राजनांदगाव को और सादर सूचनाएं।
1. माननीय महापौर, नगर पालिक निगम राजनांदगाव को सादर सूचनाएं।

प्रतिलिपि :-  
पृ.क. 1809/लोक -11/2016-17

राजनांदगाव दिनांक 4/1/2017

श्रीर पालिक निगम राजनांदगाव

आयुक्त  
13/06/2017

- होगा।
13. किसी भी विवाद कि स्थिति में आयुक्त, नगर निगम, राजनांदगाव निष्पक्ष अंतिम व सर्वमान्य
  12. सफल निविदाकार के तीन दिनों के भीतर अंतर्वेद करना अनिवार्य होगा।
  11. सफल निविदाकार को श्रम नियम/अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
  - करना होगा।
  - निर्देशानुसार राज्य में प्रोच्योरमेंट एवं काय संवर्धी निविदाओं में सत्यनिष्ठा सहि का पालन
  10. छत्तीसगढ शासन के पत्र क्रमांक 243/वि.नि/चार/2013 नया रायपुर 06 जुलाई 2013 के
  - किये जायेंगे।
  9. आहूत की गई निविदा लिखियों को किसी कारणवश अवकाश घोषित होते हैं, तो निविदा
  - कायदावाही अधिनियम कायदालय में संपन्न किये जायेंगे। इसके लिये पृथक से सूचना जारी नहीं
  - नाम अधिकत हो।
  8. सफल निविदाकार को निर्माण कायदालय करने के पूर्व प्रस्तावित स्थल का कोटे ग्राह्य निर्माण
  - कायदालय करने के बाद चल देयक प्रस्ताव कर ले समय एवं कायदालय पूर्ण होने के पश्चात कायदालय
  - की स्थिति संवर्धी कोटे ग्राह्य प्रस्ताव करना अनिवार्य होगा, जिसमें वाई क्रमांक एवं कायदालय का
  - परफार्मेंस गारंटी के रूप में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
  - निविदादाला को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 90 प्रतिशत के अंतर की राशि समर्पित